

छत्तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: गाँव नैनवाल, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-8),

डाकघर मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा - 122050

सीआई एन – यू 74900एचआर1989जीओआई030516



छत्तीसवाँ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024-2025 के लिए इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईवीसीओएल) को मार्च, 1989 में भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डीबीटी द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। पाश्चर मेरॉक्स सीरम एंड वैक्सीन्स (पी.एम.एस.वी.), फ्रांस; और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल) (आईपीसीएल का 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) 18.78 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी के साथ, और विनिर्माण के उद्देश्यों के साथ : (i) वेरो सेल प्रौद्योगिकी पर आधारित टीके और (ii) इंजेक्टोबल पोलियो वैक्सीन्स (आईपीवी), तथापि आईपीवी को विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद पी. एम. एस. वी. फ्रांस 1998 में डीबीटी को अपने शेयर बेचकर संयुक्त उद्यम से बाहर निकल गया।

कंपनी की कोई व्यापारिक या वाणिज्यिक गतिविधि नहीं है और यह अपनी साइट की देखभाल करने और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत वैधानिक दायित्वों का पालन करने के लिए सीजीओ कॉम्प्लेक्स में डीबीटी कार्यालय से अपनी स्थापना बनाए रख रही है। वर्तमान में आईवीसीओएल को निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशक और भारत सरकार के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन निदेशक हैं।

वर्ष 1999 में, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र (एनबीआरसी) जैव प्रौद्योगिकी विभाग, (डीबीटी) का एक स्वायत्त निकाय) को 11.91 लाख रुपये प्रति वर्ष के मामूली पट्टे किराए पर तीस साल के पट्टे पर अपनी 46.20 एकड़ जमीन दी गई थी। यह वर्तमान में कंपनी की एकमात्र आय है।

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, कंपनी के लिए पिछले पांच वर्षों का लाभ/हानि निम्नानुसार है:

वर्ष	लाभ/ हानि	संचित घाटा
2020-2021 (31 मार्च, 2021 तक)	(371)	(1,24,535)
2021-2022 (31 मार्च, 2022 तक)	(36,986)	(1,61,521)
2022-2023 (31 मार्च, 2023 तक)	15,733	(1,45,787)
2023-2024 (31 मार्च, 2024 तक)	1,240	(1,44,547)
2045-2025 (31 मार्च, 2025 तक)	1,107	(1,43,440)

(रु हजारों में)



इंडियन वैक्सीन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

निदेशक मंडल

डॉ. संजय कुमार मिश्रा	17.09.2021
श्री पंकज उपाध्याय	18.12.2024
डॉ. अलका शर्मा	23.12.2020
श्री श्रीवल्लभ गोयल	30.07.2009
श्री सुधीर कुमार जैन	31.12.2014

बैंकर

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

लेखा परीक्षक

एम. एल. गर्ग एंव कंपनी,
पंजीकृत चार्टर्ड लेखाकार
के-60, द्वितीय तल, पीवीआर प्लाज़ा के सामने
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001

पंजीकृत कार्यालय

गाँव नैनवाल,
दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, (एनएच-8)
डाकघर मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा- 122050

प्रधान कार्यालय

ब्लॉक नंबर 3, कमरा नंबर 526,
5 वीं मंजिल, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24361208.



36 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

नोटिस दिया जाता है कि इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की छत्तीसवीं वार्षिक आम बैठक सोमवार 9 सितम्बर, 2025 को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :-

साधारण व्यवसाय

1. 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, उससे संबंधित सभी टिप्पणियाँ, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु।
2. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक / शुल्क का निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

विशेष व्यवसाय:

3. भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का प्रतिनिधित्व करने हेतु, श्री पंकज उपाध्याय (निदेशक, आईएफडी, डीबीटी) के स्थान पर श्री पंकज कुमार (उप सचिव, आईएफडी, डीबीटी), को निदेशक नियुक्त करना।
4. भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का प्रतिनिधित्व करने हेतु, डॉ. संजय कुमार मिश्रा, (वैज्ञानिक 'एच' डीबीटी) के स्थान पर डॉ. नितिन कुमार जैन (वैज्ञानिक 'जी', डीबीटी) को निदेशक नियुक्त करना।

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के बोर्ड के आदेश से

स्थान - दिल्ली
दिनांकित- 03.09.2025

डॉ. नितिन कुमार जैन
निदेशक (आई वी सी ओ एल)
पता : 29 ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक जी,
हुडको प्लेस एक्सटेंशन, अंसल प्लाज़ा के
निकट, एंड्रजगंज, डाकघर एंड्रजगंज,
जिला - दक्षिण दिल्ली,
दिल्ली - 110049



टिप्पणीया:

1. बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य खुद के बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और इस तरह के प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी को कंपनी के साथ अपने पंजीकृत कार्यालय में बैठक से पहले 48 घंटे पहले दायर किया जाना चाहिए। यदि मतदान अधिकार रखने वाली कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से अधिक रखने वाले सदस्य द्वारा प्रॉक्सी नियुक्त करने का प्रस्ताव है ,तो ऐसा प्रॉक्सी किसी अन्य सदस्य के लिए प्रॉक्सी के रूप में कार्य नहीं करेगा।
2. बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने के इच्छुक कॉर्पोरेट सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने प्रतिनिधि को बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अधिकृत करते हुए बोर्ड संकल्प की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।
3. कंपनी अधिनियम 2013 ,की धारा 102 के अनुसार भौतिक तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नोटिस में विशेष कार्य से संबंधित यहां संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।
4. बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से 24 घंटे पहले शुरू होने और बैठक के समापन के साथ समाप्त होने वाली अवधि के दौरान ,एक सदस्य कंपनी के व्यावसायिक घंटों के दौरान किसी भी समय दर्ज प्रॉक्सी का निरीक्षण करने का हकदार होगा ,बशर्ते कि कंपनी को लिखित रूप में कम से कम तीन दिन का नोटिस दिया गया हो।
5. कंपनी अधिनियम 2013 ,की धारा 170 के तहत रखे गए निदेशकों और उनकी शेयरधारिता का रजिस्टर और अनुबंधों का रजिस्टर या व्यवस्था जिसमें निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 ,की धारा 189 के तहत रुचि रखते हैं और नोटिस और व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित सभी दस्तावेज ,सदस्यों द्वारा सभी कार्य दिवसों में व्यावसायिक घंटों के दौरान सुबह 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे वार्षिक आम बैठक का समापन तक।
6. एक उपस्थिति पर्ची और एक प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न हैं।
7. वार्षिक आम बैठक के स्थल पर पहुँचने के लिए एक मार्ग मानचित्र सहित आसानी से पता लगाने के लिए पहचान के चिन्ह का विवरण संलग्न है।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

उपस्थिति पर्ची

(प्रवेश द्वार पर प्रस्तुत किया जाना है)

36^{वीं} वार्षिक आम बैठक पर _____ बजे _____ इंडियन वैक्सीन्स
कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम-नैनवाल, पोस्ट ऑफिस – मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122050 सीआईएन -
U74900HR1989GOI030516 फ़ोन – 011-24361208.

फोलियो संख्या : _____

सदस्य का नाम : _____ हस्ताक्षर : _____

अधिकृत प्रतिनिधि का नाम (निकाय निगम) _____ हस्ताक्षर : _____

प्रॉक्सी धारक का नाम: _____ हस्ताक्षर : _____

मैं _____ वीडियो कांफ्रेंस द्वारा 36^{वीं} वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज

कराता/करती हूँ।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

गाँव नैनवाल, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच-8), डाकघर मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा- 122050

सीआई एन: U74900HR1989GOI030516 फ़ोन – 011-24361208

फॉर्म नं . एमजीटी 11-प्रॉक्सी फॉर्म

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और 19(3) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के अनुसार]

सीआई एन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

कंपनी का नाम :इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: गाँव नैनवाल, डाकघर मानेसर, जिला गुरुग्राम, हरियाणा- 122050

सदस्य(ओं) का नाम:	
पंजीकृत पता:	
ई-मेल आईडी:	
फोलियो नंबर क्लाइंट आईडी:	
डीपी आई डी:	

मैं / हम, उपरोक्त नामित कंपनी के सदस्य (ओं) जिनके पास उपरोक्त कंपनी के शेयर है इस पत्र के द्वारा नियुक्त करता हूँ / करते हैं:

1.	
नाम:	
पता:	
ई-मेल आई डी:	
हस्ताक्षर ,..... :	

2.	
नाम:	
पता:	
ई-मेल आई डी:	
हस्ताक्षर ,या उसे असफल करना	

3.	
नाम:	
पता:	
ई-मेल आई डी:	
हस्ताक्षर ,या उसे असफल करना	

मैं / हमारे, परिपत्री के रूप में और (मतदान होने पर) कंपनी की 36 वीं वार्षिक आम बैठक में जो कि..... को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा हुई है तथा निम्न प्रस्तावों पर या स्थगन उपरांत मेरा / हमारे, स्थान पर आएंगे और मेरी / हमारी और से निम्न प्रस्तावों पर मतदान करेंगे :



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

संकल्प नं.	वर्णन या समाधान	के लिए	विरुद्ध
सामान्य कार्यकलाप			
1.	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, उससे संबंधित सभी टिप्पणियाँ, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु।		
2.	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक / शुल्क का निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल को अधिकृत करना।		
विशेष कार्यकलाप			
3.	भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का प्रतिनिधित्व करने हेतु, श्री पंकज उपाध्याय (निदेशक, आईएफडी, डीबीटी) के स्थान पर श्री पंकज कुमार (उप सचिव, आईएफडी, डीबीटी), को निदेशक नियुक्त करना।		
4.	भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का प्रतिनिधित्व करने हेतु, डॉ. संजय कुमार मिश्रा, (वैज्ञानिक 'एच' डीबीटी) के स्थान पर डॉ. नितिन कुमार जैन (वैज्ञानिक 'जी', डीबीटी) को निदेशक नियुक्त करना।		

इस पर हस्ताक्षर किए.....का दिन2025.

राजस्व
टिकट

शेयरधारक के हस्ताक्षर प्रॉक्सी धारकों के हस्ताक्षर.

नोट: प्रभावी होने के लिए प्रॉक्सी के इस रूप विधिवत पूरा किया जाना चाहिए और कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए, बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले।



निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारकों,

आपके निदेशकों को 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ कंपनी के संचालन की अपनी 36वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय प्रदर्शन

क्र.सं.	विवरण	हजारों में (₹) 31.03.2025	हजारों में (₹) 31.03.2024
1.	संचालन से राजस्व	3,249	3,649
2.	कर्मचारियों को लाभ	536	448
3.	कर से पहले लाभ और असाधारण आइटम	1,223	1,685
4.	असाधारण आइटम	-	-
5.	शुद्ध लाभ/हानि	1,107	1,240

संचालन का सारांश

कंपनी ने अपनी 46.20 एकड़ भूमि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र (एनबीआरसी) को तीस वर्षों के लिए पट्टे पर दी है जो कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) का एक स्वायत्त संस्थान है।

वर्ष के दौरान कंपनी में किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक या उत्पादन गतिविधि नहीं हुई है।

शेयर पूंजी

वर्तमान में कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी 50 करोड़ रुपये है जिसे 10 रुपये के 5 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 18,78,93,820 रुपये है, जिसे 10 रुपये के 1,87,89,382 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया है।

वर्ष के दौरान पूंजी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

आरक्षित करने के लिए स्थानांतरण

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए जनरल रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।

लाभांश

निदेशक 31 मार्च 2025, को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं करते हैं क्योंकि कंपनी ने वित्त वर्ष के अंत में संचित घाटा जमा किया है।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

सचिवीय मानक

कंपनी द्वारा क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'सामान्य बैठकों' से संबंधित लागू सचिवीय मानकों अर्थात एस एस -1 एस एस -2 का विधिवत अनुपालन किया गया है।

निदेशक मंडल

निदेशक का नाम	नियुक्ति की प्रभावी तिथि
डॉ. संजय कुमार मिश्रा	17.09.2021 से प्रभावी
डॉ. अलका शर्मा	23.12.2020 से प्रभावी
श्री पंकज उपाध्याय	18.12.2024 से प्रभावी
श्री श्रीवल्लभ गोयल	30.07.2009 से प्रभावी
श्री सुधीर कुमार जैन	31.12.2014 से प्रभावी

निदेशकों की बैठकों और निदेशकों की उपस्थिति का विवरण

बैठक की तिथि	बैठक संख्या	निदेशक की बैठकों में भाग लेने की संख्या	बैठक में भाग लेने वाले निदेशकों के नाम
09.05.2024	154	3	डॉ. संजय कुमार मिश्रा, श्री सुधीर कुमार जैन, श्री पंकज कुमार
04.09.2024	155	5	डॉ. संजय कुमार मिश्रा, श्री सुधीर कुमार जैन, श्री पंकज कुमार, डॉ. अलका शर्मा, श्री श्रीवल्लभ गोयल
13.09.2024	156	3	डॉ. संजय कुमार मिश्रा, श्री सुधीर कुमार जैन, श्री पंकज कुमार
13.12.2024	157	2	डॉ. संजय कुमार मिश्रा, श्री सुधीर कुमार जैन,
27.03.2025	158	3	डॉ. संजय कुमार मिश्रा, श्री सुधीर कुमार जैन, डॉ. अलका शर्मा

निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्यकारी

वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क) निदेशक मंडल ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में श्री पंकज उपाध्याय को 18.12.2024 से कंपनी का अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है।

ख) निदेशक मंडल ने 13 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में श्री पंकज कुमार ने 14.11.2024 से कंपनी के नामित निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है।

निदेशकों की जिम्मेदारियां का कथन

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड सी की आवश्यकता के अनुसार, आपके निदेशकों की पुष्टि करता है कि :-

- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने में, अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के साथ पठित लागू लेखांकन मानकों का पालन सामग्री प्रस्थान, यदि कोई हो, से संबंधित उचित



स्पष्टीकरण के साथ किया गया है;

- निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;
- निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2025 को कंपनी की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के नुकसान का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक लेखा को एक चालू इकाई के आधार पर तैयार तैयार किए हैं।
- निदेशकों ने कंपनी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं; तथा
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एन) के प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है, जिसमें उन जोखिम तत्वों की पहचान सम्मिलित है, जो निदेशक मंडल की राय में कंपनी के अस्तित्व को प्रभावित अथवा संकटग्रस्त कर सकते हैं। साथ ही, पहचाने गए जोखिमों का मूल्यांकन, उनकी सतत निगरानी एवं न्यूनतम करने की प्रक्रिया भी समाहित है।

होल्टिंग कंपनी और सहायक कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियाँ

भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पास कंपनी में 66.67% शेयर हैं; इसलिए, कंपनी सरकारी कंपनी की श्रेणी में आती है। कंपनी की कोई सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है। हालाँकि, कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहयोगी कंपनी बनी हुई है।

वैधानिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति

सरकार ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिश पर मेसर्स एम एल गर्ग एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को वर्ष 2024-2025 लिए कंपनी का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वैधानिक लेखा परीक्षक ने 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में किसी प्रकार की आपत्ति, आरक्षण, प्रतिकूल अभिमत अथवा अस्वीकरण का उल्लेख नहीं है।।

धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

आपकी कंपनी के लेखा परीक्षकों ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (12) के तहत निर्दिष्ट किसी भी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी है। इसके अलावा, किसी अन्य स्रोत से आपकी कंपनी के प्रबंधन को धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना नहीं दी गई है।



दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन अथवा लंबित कार्यवाही

इस वर्ष के दौरान, न तो कंपनी द्वारा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है और न ही उक्त संहिता के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई लंबित कार्यवाही है।

सामान्य

आपके निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकटीकरण या रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इन मदों पर कोई लेनदेन नहीं हुआ था:

- (i) अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत शामिल जमा राशियों से संबंधित विवरण।
- (ii) लाभांश, मतदान या अन्यथा के रूप में अलग-अलग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- (iii) इस रिपोर्ट में उल्लिखित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना को छोड़कर किसी भी योजना के तहत कंपनी के कर्मचारियों को शेयर (स्वेट इक्विटी शेयरों सहित) जारी करना।
- (iv) कंपनी के पास कर्मचारियों के लाभ के लिए कर्मचारियों द्वारा या न्यासियों द्वारा अपने स्वयं के शेयरों की खरीद के लिए धन के प्रावधान की कोई योजना नहीं है।
- (v) कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों को अपने किसी सहयोगी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन नहीं मिला।
- (vi) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता हो।
- (vii) लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा समिति या बोर्ड को किसी धोखाधड़ी की सूचना नहीं दी गई है।

संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंध और व्यवस्था

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013, की धारा 188 के प्रावधानों के तहत आने वाले संबंधित पक्ष के साथ कोई अनुबंध, व्यवस्था की है, इसलिए प्रपत्र क्रमांक एओसी – 2 में प्रकटीकरण कंपनी पर लागू होता है और प्रपत्र क्रमांक एओसी – 2 संलग्न होता है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के गठन और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

कंपनी के पास अपने आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप सभी क्षेत्रों में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां हैं।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 में यथा निर्धारित सचिवीय लेखा परीक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

लागत लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 यथा निर्धारित लागत लेखा परीक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।



कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, किए गए निवेश, दी गई गारंटी और उपलब्ध कराई गई प्रतिभूतियों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष में, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियां नहीं दी है और न ही कोई निवेश किया है।

जमा

कंपनी जमा की स्वीकृति नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो कोई जमा राशि ली है और न ही बैलेंस शीट की समाप्ति तिथि को मूलधन या ब्याज की कोई राशि बकाया है।

निदेशक मंडल, निदेशक समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के प्रावधान, जो निदेशक मंडल, इसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के वार्षिक प्रदर्शन के औपचारिक मूल्यांकन से संबंधित हैं, आपकी कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय

(a.) ऊर्जा संरक्षण

(i.)	ऊर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम या प्रभाव	आपकी कंपनी वर्तमान में कोई व्यवसाय नहीं कर रही है ,इसलिए विवरण शून्य है
(ii.)	ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम	
(iii.)	ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश	

(b.) प्रौद्योगिकी अवशोषण

(i.)	प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास	आपकी कंपनी वर्तमान में कोई व्यवसाय नहीं कर रही है ,इसलिए विवरण शून्य है
(ii.)	उत्पाद सुधार ,लागत में कमी ,उत्पाद जैसे व्युत्पन्न लाभ विकास या आयात प्रतिस्थापन	
(iii.)	आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरुआत से गणना किए गए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित)	आपकी कंपनी वर्तमान में कोई व्यवसाय नहीं कर रही है ,इसलिए विवरण शून्य है
	(क.) आयातित प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है;	
	(ख.) आयात का वर्ष क्या है;	
	(ग.) क्या प्रौद्योगिकी को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया है;	
	(घ) यदि पूरी तरह से अवशोषित नहीं किया गया है ,तो ऐसे क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं हुआ है ,और इसके क्या कारण हैं;	
(iv.)	अनुसंधान एवं विकास पर किया गया व्यय	शून्य



(c.) विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा में कोई आय और व्यय नहीं होता है।

वार्षिक रिटर्न का उद्धरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम के नियम 12(1) के साथ, कंपनी के वार्षिक रिटर्न का एमजीटी-9 से उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

कंपनी की वेबसाइट न होने के कारण, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक वार्षिक रिटर्न किसी भी वेब पते पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

कर्मचारियों का ब्यौरा

आपकी कंपनी एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के साथ कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत अपेक्षित कर्मचारी पारिश्रमिक का विवरण कंपनी पर लागू नहीं होता है।

नियामकों द्वारा महत्वपूर्ण आदेश

नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करते हैं।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कंपनी कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती, अतः आंतरिक शिकायत समिति का गठन नहीं किया गया है।

समीक्षाधीन वर्ष में यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अभिस्वीकृति

आपके निदेशक गण समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सभी सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहेंगे।

आपके निदेशक भी कंपनी के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और ईमानदारी के लिए उनकी गहरी सराहना की भावना को रिकॉर्ड में रखना चाहते हैं।

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक: 07.08.2025
स्थान: नई दिल्ली

नितिन कुमार जैन
निदेशक सं. 11182493
पता: 29 ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक जी,
हुडको प्लेस एक्सटेंशन, अंसल प्लाज़ा के
निकट, एंड्रजगंज, डाकघर एंड्रजगंज,
जिला – दक्षिण दिल्ली, दिल्ली – 110049

सुधीर कुमार जैन
निदेशक सं. 05205213
पता: चौथी मंजिल, हाउस नंबर 47
डीडीए साइट- 1, शंकर रोड,
न्यू राजिंदर नगर, नई दिल्ली, 110060



प्रपत्र क्रमांक एओसी - 2

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें उसके तीसरे प्रावधान के तहत कुछ हाथ के लेन-देन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का ब्योरा एक-दूसरे से कम दूरी के आधार पर: **नहीं**
2. सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विस्तृत आधार पर विवरण:

क्रमांक	संबंधित पार्टी के नाम	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन-देन की प्रकृति	अनुबंधों की अवधि / व्यवस्था/ लेन-देन	मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि(तिथियां), यदि कोई हो	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
(अ)	(ख)	(ग)	(द)	(ङ)	(च)	(छ)
1	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, (एन.बी.आर.सी.)	पट्टा सेवाएँ	अप्रैल 2024 मार्च 2025	इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, के बीच हुए लीज समझौते की शर्तों के अनुसार।	--	--

उपर्युक्त लेन-देन निगम द्वारा अपने सामान्य व्यवसाय में किया गया था। भौतिकता सीमा कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियाँ) नियम, 2014 के तहत निर्धारित की गई है।

निदेशक मंडल की ओर से

नितिन कुमार जैन
(निदेशक)



इंडियन वैकसीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

प्रपत्र क्रमांक एमजीटी - 9

वार्षिक रिटर्न का उद्घरण अनुलग्नक-1

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार 31.03.2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

i.	सी आई एन	यू74900एचआर1989जीओआई030516
ii.	रजिस्ट्रेशन की तारीख	27/03/1989
iii.	कंपनी का नाम	इंडियन वैकसीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयरों द्वारा सीमित कंपनी
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	गाँव- नैनवाल, डाकघर - मानेसर, गुड़गांव, हरियाणा 122050 फ़ोन नंबर: 011-24361208
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम ,पता और संपर्क विवरण ,यदि कोई हो।	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कार्वी सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट नंबर- 31 और 32, फाइनैशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकराम गुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगरेड्डी, तेलंगाना, भारत, 500032 फ़ोन नंबर 040-67161700

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में **10%** या उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में बताया जाएगा।

क्र. सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवाका एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का % कंपनी के
1.	जमीन किराए पर देना	68100	100 %

III. होल्डिंग ,सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन	होल्डिंग/सब्सिडियरी/ एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू अनुभाग
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

IV. (i.) शेयर होल्डिंग पैटर्न (इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेकअप कुल इक्विटी के % के रूप में)

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में रखे गए शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में रखे गए शेयरों की संख्या				(%) वर्ष के दौरान परिवर्तन
	अभौतिकीकरण	भौतिक	कुल	% कुल शेयरों का	अभौतिकीकरण	भौतिक	कुल	% कुल शेयरों का	
(क.) प्रवर्तक									
(1.) भारतीय									
(क.) व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख.) केंद्र सरकार/राज्य सरकार	शून्य	12526256	12526256	67.67	शून्य	12526256	12526256	67.67	शून्य
(ग.) निकाय निगम	6263126	शून्य	6263126	33.33	6263126	शून्य	6263126	33.33	शून्य
(घ.) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ.) कोई और	0	0	0	0	0	0	0	00	0
उप-योग: क+1	6263126	12526256	18789382	100	6263126	12526256	18789382	100	शून्य
(2.) विदेशी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(क.) एन आर आई/व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख.) अन्य व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग.) निकाय निगम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ.) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ.) कोई और	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग: क+2									
प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ) = क(1)+ क(2)	6263126	12526256	18789382	100	6263126	12526256	18789382	100	शून्य
(ख.) सार्वजनिक शेयरधारिता									



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

(1.) संस्थानों									
(क.) म्यूचुअल फंड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख.) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग.) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(घ.) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ङ.) उद्यम पूंजी कोष	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(च) बीमा कंपनी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(छ) विदेशी उद्यम पूंजी कोष	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ज) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग: ख+1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2.) गैर संस्थान									
1. निकाय निगमित	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(क.) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख.) विदेश में	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. व्यक्तिगत	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(क.) 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ख.) 1 लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-योग: ख+2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख.) = ख(1) + ख(2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(ग.) जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल योग (क.) + (ख.) + (ग.)	6263126	12526256	18789382	100	263126	12526256	18789382	100	शून्य



इंडियन वैक्सीन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

(ii.) प्रवर्तको की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)	कुल शेयरों पर गिरवी रखे गए शेयरों का (%)	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)	कुल शेयरों पर गिरवी रखे गए शेयरों का (%)
1.	भारत सरकार	12526256	66.67	शून्य	12526256	66.67	शून्य
2.	रिलायंस	6263126	33.33	शून्य	6263126	33.33	शून्य

(iii.) प्रवर्तको की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं है तो निर्दिष्ट करें)

		वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)
	साल की शुरुआत में	18789382	100	18789382	100
	वर्ष के दौरान प्रवर्तको की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदाहरणार्थ) आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	साल के अंत में	18789382	100	18789382	100

(iv) शीर्ष दस शेयरधारकों (जीडीआरएस और एडीआरएस के निदेशकों, प्रवर्तको और धारकों के अलावा) का शेयरधारिता पैटर्न

	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)
	साल की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के दौरान शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदाहरणार्थ) आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	साल के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

(v.) निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता

प्रत्येक निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का (%)
साल की शुरुआत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वर्ष के दौरान निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय की शेयरधारिता में तिथिवार वृद्धि/कमी, वृद्धि/कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए (उदाहरणार्थ) आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
साल के अंत में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. ऋणग्रस्तता- शून्य

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक-

(क.) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:- शून्य

(ख.) अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:- शून्य

(ग.) प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक:- कंपनी सचिव का 2024-25 का पारिश्रमिक 5,36,000/- है

VII. दंड/सज़ा/अपराधों का शमन:- शून्य

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

नितिन कुमार जैन
(निदेशक)

निदेशक सं. :11182493
पता: 29 ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक जी,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, 110021
हुडको प्लेस एक्सटेंशन, अंसल प्लाज़ा के
निकट, एंड्रजगंज, डाकघर एंड्रजगंज,
जिला – दक्षिण दिल्ली, दिल्ली – 110049

सुधीर कुमार जैन
(निदेशक)

निदेशक सं. :05205213
पता :चौथी मंजिल ,हाउस नंबर 47
डाडाए साइट ,1 -शकर राड न्यू
राजदर नगर नई दिल्ली,110060

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक :07.08.2025



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

हमने इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के साथ के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा संशोधित ("अधिनियम") के रूप में आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका लाभ और इसके नकदी प्रवाह शामिल हैं।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एस ए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग के लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी "आचार संहिता" के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों की हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विशेष ध्यानार्थ विषय

- क. हम वित्तीय विवरण के नोट 3 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें बताया गया है कि आकलन वर्ष 1992-93 से वर्तमान तक के आयकर मामले आयकर विभाग के पास लंबित हैं। इस अवधि के दौरान, विभाग कंपनी की कर वापसी को बकाया कर मांगों के विरुद्ध समायोजित करता रहा है। हालांकि, वर्तमान में समायोजित वापसी की सटीक राशि निर्धारित नहीं की जा सकती। ये मुद्दे केवल कंपनी के रिकॉर्ड की विस्तृत जाँच एवं आयकर विभाग के समन्वय से हल किए जा सकते हैं। इस मामले में हमारी राय अपरिवर्तित है।
- ख. हम वित्तीय विवरणों के नोट 5 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें बताया गया है कि आयकर विभाग के टीआरएसीईएस पोर्टल पर कई वर्षों से कई चूकें दिखाई दे रही हैं, जो टीडीएस की कम कटौती और भुगतान, टीडीएस जमा करने में देरी, टीडीएस रिटर्न देर से दाखिल करने और संबंधित ब्याज/अतिरिक्त ब्याज के कारण उत्पन्न हुई हैं। ये चूकें ₹69,386.27 की हैं और ट्रेसेज़ पोर्टल के साथ समाधान के अधीन हैं। इस राशि का कंपनी के लेखा-जोखा में उल्लेख नहीं किया गया है। इस मामले में हमारी राय अपरिवर्तित है।
- ग. हम वित्तीय विवरण के नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिसमें उल्लेख है कि ₹3.43 लाख का जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट जी.एस.टी. पोर्टल के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/कैश लेज़र के साथ सुलह के अधीन है। इस मामले में हमारी राय अपरिवर्तित है।
- घ. हम वित्तीय विवरणों के नोट 9 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने प्रमुख प्रबंधन कर्मियों, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और लेखा परीक्षा समिति के गठन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा



203(1) और 149 के प्रावधानों का, साथ ही कंपनी (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 और 8ए का अनुपालन नहीं किया है। इस मामले में हमारी राय अपरिवर्तित है।

मुख्य लेखा परीक्षा मामले

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और उस पर हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि हमारी रिपोर्ट में सूचित करने के लिए कोई प्रमुख ऑडिट मामले नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक भौतिक गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और वित्तीय विवरणों के लिए शासन के साथ प्रभारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134 (5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आमतौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, नकदी प्रवाह और इक्विटी में परिवर्तन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जैसा कि लागू हो, चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार का उपयोग करना जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

कंपनी के निदेशक मंडल भी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।



वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा। गलत कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, उन्हें इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।

एस ए के अनुसार एक ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप एक भौतिक गलत बयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों में उपयुक्त ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (आई) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और, प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चल रही चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक सतत चिंता के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का प्रतिनिधित्व इस तरह से करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता है।

भौतिकता वित्तीय विवरणों में गलत विवरणों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता का आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकता है। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारक पर विचार करते हैं।

- (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में, और
- (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करना

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसे हम अपने ऑडिट के



दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को भी एक बयान प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो यथोचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ सूचित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों के ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख ऑडिट मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों से यथोचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद की जाएगी।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

(1) अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा आवश्यकतानुसार, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (क.) हमने उन सभी सूचनाओं और स्पष्टीकरणों की मांग की है और प्राप्त की है जो हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे;
- (ख.) हमारी राय में कंपनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
- (ग.) तुलन-पत्र और लाभ-हानि का विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तन का विवरण तथा इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह का विवरण बही-खातों के अनुरूप हैं।
- (घ.) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
- (ङ.) सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (च.) कंपनी के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक " (क) "** में दी गई हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- (छ.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, इस धारा के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (ज.) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि हमारी राय में संशोधित किया गया है और हमारी . जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसके वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालता है;
 - ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जो 31 मार्च 2025 तक बकाया था।
 - iii. ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में अंतरित करने की आवश्यकता हो।



इंडियन वैक्सिन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

iv.

क. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि अपने ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थों") सहित किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में या तो उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के धन से)। इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, मध्यस्थ, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करे या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करे।

ख. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, इसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या कोई गारंटी प्रदान करेगी। अंतिम लाभार्थियों की ओर से सुरक्षा या इसी तरह; और

ग. की गई लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई सामग्री गलत बयानी है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान न तो किसी लाभार्थी की घोषणा की है और न ही उसका भुगतान किया है।

vi. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान लेखा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाता पुस्तकों को बनाए रखने के लिए है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, जो 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है, और हमारी जांच के आधार पर जिसमें नमूना जांच शामिल है, कंपनी ने अपने खाता पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित करें) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और संबंधित सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष के दौरान इसका संचालन किया गया है। लेखा पुस्तकों के रखरखाव के लिए प्रयुक्त लेखांकन सॉफ्टवेयर के लिए किसी भी प्रत्यक्ष डेटा परिवर्तन को लॉग करने हेतु डाटाबेस स्तर पर ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम नहीं की गई थी।

(2.) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक (ख) " में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान देते हैं।

(3.) अधिनियम की धारा 143(5) के तहत जारी निर्देशों के माध्यम से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अपेक्षित अनुसार, हम संलग्न "अनुलग्नक (ग)" में एक रिपोर्ट दे रहे हैं।

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ आर एन: 001604एन

(एम. एल. गर्ग, एफसीए)
साझेदार
एम. नं.: 008850
दिनांक: 07.08.2025,
स्थान: नई दिल्ली
यू डी आई एन: 25008850बीएमटीसी वाईवाई7352



अनुलग्नक " (क) "

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर सम दिनांक की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (इसका उल्लेख हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत अनुच्छेद 1 (च.) में किया गया है)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2025 तक इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर कंपनी के वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी महत्वपूर्ण कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।



वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय विवरण के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (ii) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (iii) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के ओवरराइड के अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय विवरण के संदर्भ में एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय विवरण के संदर्भ में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण मानदंडों पर आधारित थे, जो कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं।

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ आर एन: 001604एन

(एम. एल. गर्ग, एफसीए)
साझेदार
एम. न.: 008850
दिनांक: 07.08.2025
स्थान: नई दिल्ली
यू डी आई एन: 25008850बीएमटीसी वाईवाई7352



अनुलग्नक "(ख)"

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर सम तिथि की स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट।
(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित।)

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और लेखा परीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई लेखा पुस्तकों और रिकॉर्ड के संदर्भ में और हमारे ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

(i) इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के संबंध में: –

(1) (क.) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख.) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और अमूर्त परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(2) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सभी मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है और सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जो हमारी राय में कंपनी के आकार और इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

(3.) कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग अधिकार संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(4) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए 31 मार्च 2025 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii.) इनवेंटरी के संबंध में:

(क.) कंपनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है, तदनुसार, भौतिक सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है।।

(ख.) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के किसी भी समय बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (ii) (बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(iii.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है; और इसलिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iii) लागू नहीं होता है।

(iv.) कंपनी ने अधिनियम की धारा 185 के तहत आने वाले दलों को कोई ऋण नहीं दिया है या कोई गारंटी या तिभूतियां प्रदान नहीं की हैं। इसके अलावा, कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों, किए गए निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(v.) कंपनी ने न तो जनता से कोई जमा स्वीकार किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ के भीतर जमा माना जाता है, लागू सीमा



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

तक, तदनुसार आदेश के खंड 3 (v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi.) केंद्र सरकार ने कंपनी की कतिपय विनिर्माण गतिविधियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव का निर्धारण किया है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेखों के रख-रखाव के संबंध में उपर्युक्त अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vii.) सांविधिक देय राशियों के संबंध में:-

(क.) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर के अविवादित वैधानिक बकाये थे, जो उचित प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी भी अविवादित मामले के कारण जमा नहीं किए गए हैं, जो निम्नानुसार हैं:

प्रतिमा का नाम	देनदारियों की प्रकृति	मांग की गई राशि	मांग पर ब्याज	कुल मांग	राशि संबंधित अवधि	विवाद निवारण मंच
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	₹21,71,167/-	₹27,57,382/-	₹49,28,549/-	2013-14	लागू नहीं
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	₹8,750/-	₹12,163/-	₹20,913/-	2012-13	लागू नहीं

(ख.) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर का कोई बकाया नहीं था, जिसे उचित प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी विवादित मामले के कारण जमा नहीं किया गया हो।

(viii.) कंपनी ने वर्ष के दौरान आय के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर आकलन में किसी भी लेनदेन को सरेंडर या प्रकट नहीं किया है, जो पहले खाते की पुस्तकों में दर्ज नहीं था, तदनुसार, आदेश के खंड 3 (viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ix.)

(क.) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारियों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख.) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी भी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग.) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी द्वारा लिए गए सावधि ऋण को उस उद्देश्य के लिए लागू किया गया था जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे।

(घ.) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच करने पर, कंपनी द्वारा दीर्घ कालिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक आधार पर उठाए गए किसी भी धन का उपयोग नहीं किया गया है।

(ङ.) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है।

(च.) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों की गिरवी पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है।



इंडियन वैकसीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

(X.)

(क.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण साधन सहित) और सावधि ऋण के माध्यम से कोई पैसा नहीं जुटाया गया था।

(ख.) कंपनी ने लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के दौरान शेषों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी नियोजन /पूर्ण या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (x) (b) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi.)

(क.) वित्तीय विवरणों के सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या वर्ष के दौरान रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख.) वर्ष के दौरान और रिपोर्ट की तारीख तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत लागत लेखा परीक्षक/सचिवीय लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास दाखिल नहीं की गई है।

(ग.) ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय हमने वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों (यदि कोई हो) को ध्यान में रखा है।

(xii.) कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है, इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) (ए), (बी) और (सी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii.) हमारी राय और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण में, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेनदेन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और संबंधित पक्षों के लेनदेन के विवरण को लागू लेखा मानक द्वारा आवश्यक वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv.) कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है क्योंकि यह कंपनी पर अधिनियम की धारा 138 के तहत लागू नहीं है।

(xv.) निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशक से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi.)

(क.) हमारी राय में, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45-आई ए के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) (ए), पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख.) कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है और भारतीय रिजर्व बैंक से ऐसी गतिविधियों के लिए सीओआर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग.) कंपनी एक कोर निवेश कंपनी नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) सी पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।



इंडियन वैक्सिन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

(घ.) जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, कोर निवेश कंपनियों (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित समूह की परिभाषा के अनुसार समूह के हिस्से के रूप में समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है।

- (xvii.) कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को हमारे ऑडिट में कवर किए गए चालू वित्तीय वर्ष और तत्काल पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं हुआ है।
- (xviii.) वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं आया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (xix.) नोट्स टू अकाउंट्स में प्रकट किए गए वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की बढ़ती उम्र और अपेक्षित तारीखों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जो हमें यह विश्वास करने का कारण बनता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जब वे बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर देय होते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।
- (xx.) (क.) अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के दूसरे परंतुक के अनुपालन में, कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में वर्ष के लिए कोई अव्ययित सी. एस. आर. राशि नहीं है।
- (ख.) चालू परियोजनाओं के संबंध में वर्ष के लिए कोई अव्ययित सीएसआर राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।
- (xxi.) खंड 3(xxi) की आवश्यकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में लागू नहीं है।

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ आर एन: 001604एन

(एम. एल. गर्ग, एफसीए)
साझेदार
एम. न.: 008850
दिनांक: 07.08.2025
स्थान: नई दिल्ली
यू डी आई एन: 25008850बीएमटीसीवाईवाई7352



इंडियन वैक्सिन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक "(ग.) "

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	जारी किए गए निर्देश	उत्तर
1.	कंपनी अथवा ट्रस्टों द्वारा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति-परवर्ती लाभ हेतु किए गए सभी निवेशों (उद्धृत एवं अनुद्धृत) का निष्पक्ष मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। इस प्रक्रिया में मूल्यांकन पद्धतियों की समीक्षा, भारतीय लेखा मानक के अनुरूप समानता की पुष्टि एवं सहायक दस्तावेजों का परीक्षण सम्मिलित होगा। लेखापरीक्षक को मूल्यांकन दृष्टिकोण, उसकी युक्तिसंगतता तथा लागू नियमों के अनुपालन पर संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा, साथ ही किसी भी भौतिक विचलन या असत्यापन की सूचना देनी होगी।	कंपनी में कोई स्थायी कर्मचारी नियुक्त नहीं है तथा इसका प्रबंधन नामित निदेशक एवं एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव द्वारा किया जाता है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने कर्मचारियों के सेवा-निवृत्ति उपरान्त लाभों के लिए, प्रत्यक्ष अथवा ट्रस्टों के माध्यम से, किसी भी प्रकार का निवेश (उद्धृत अथवा अनुद्धृत) नहीं किया है। अतः, इस उपबंध के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
2.	क्या कंपनी ने सभी लेखांकन लेन-देन को सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित की हुई है? यदि उत्तर हाँ है, तो आई.टी. प्रणाली के बाहर किए गए लेखांकन लेन-देन का खातों की अखंडता पर प्रभाव एवं उससे संभावित वित्तीय परिणाम, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत किया जाए।	कंपनी ने लेखांकन लेन-देन के इलेक्ट्रॉनिक प्रसंस्करण के लिए टैली सॉफ्टवेयर पर आधारित आई.टी. प्रणाली स्थापित की हुई है। किन्तु, उक्त सॉफ्टवेयर का लॉग संपादित फीचर लेन-देन स्तर पर निष्क्रिय रहने के कारण पूर्व-तिथि या संशोधित प्रविष्टियों को स्वीकार करने की संभावना रही। इस परिस्थिति से लेखा अभिलेखों की अखंडता एवं विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदान/सहायता आदि) का उचित लेखांकन लागू लेखा मानकों एवं नियमों के अनुसार किया गया है तथा क्या प्राप्त निधियों का उपयोग उनकी शर्तों एवं नियमों के अनुरूप हुआ है? साथ ही, क्या प्राप्त अनुदानों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन भी अनुदान की शर्तों के अनुसार किया गया है? इस संबंध में यदि कोई विचलन हुआ हो तो उसके मामलों की सूची दी जाए।	विचाराधीन वित्तीय वर्ष में कंपनी को केंद्रीय/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों की किसी विशिष्ट योजना के तहत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई निधि प्राप्त होने की स्थिति है। तदनुसार, इस उपबंध के अंतर्गत कोई रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।
4.	क्या कंपनी द्वारा महत्वपूर्ण जोखिम क्षेत्रों की पहचान की गई है? यदि हाँ, तो क्या इन जोखिमों के निवारण के लिए कंपनी ने कोई जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है? यदि हाँ, तो: (क) क्या जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप किया गया है? (ख) क्या कंपनी ने अपने डेटा संपत्तियों की पहचान की है तथा उनका समुचित मूल्य निर्धारण किया गया है?	कंपनी ने ऐसे किसी भी भौतिक जोखिम क्षेत्र की पहचान नहीं की है जिसके लिए पृथक जोखिम प्रबंधन नीति आवश्यक हो। अतः, इस उपबंध के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

5.	<p>क्या कंपनी भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (एसईबीआई) (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोज़र रिकायरमेंट्स) विनियम, 2015 तथा एसईबीआई और अन्य प्राधिकरणों जैसे – निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), सी ई आर टी - एन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन पी सी आई)- के लागू नियमों एवं विनियमों का पालन कर रही है? यदि अनुपालन नहीं किया गया है, तो ऐसे विचलन के मामलों को उजागर किया जाए।</p>	<p>सीएजी द्वारा जारी संशोधित निर्देशों के अनुच्छेद 5 में सूचीबद्ध विनियमों में से केवल कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के नियम, अधिसूचनाएँ और परिपत्र कंपनी पर लागू होते हैं। कंपनी ने सभी लागू प्रावधानों के अनुरूप कंपनियों के अधिनियम, 2013 तथा समय-समय पर संशोधित नियमों का पालन किया है, जिसमें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचनाएँ और परिपत्र शामिल हैं। इस संबंध में किसी भी विचलन या अनुपालन में चूक की घटनाएँ नहीं पाई गईं, सिवाय ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों के नोट 19 में उल्लेखित मामलों के, जो कि मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, स्वतंत्र निदेशक और ऑडिट समिति से संबंधित हैं।</p>
----	--	--

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफ आर एन: 001604एन

(एम. एल. गर्ग, एफसीए)
साझेदार
एम. न.: 008850
दिनांक: 07.08.2025
स्थान: नई दिल्ली
यू डी आई एन: 25008850बीएमटीसीवाईवाई7352



31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरणों को तैयार करना, कंपनियों अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार, कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक, धारा 143 के अंतर्गत स्वतंत्र लेखापरीक्षक के आधार पर वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं, जो कि अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया जाता है। यह उनके लेखापरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 07.08.2025 के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143 (6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरण का अनुपूरक लेखा-परीक्षण न करने का निर्णय लिया है।

"भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से "

(डॉ. कविता प्रसाद)
महानिदेशक लेखा परीक्षा, केंद्रीय व्यय
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 19/09/2025



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गांव नैनवाल, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा- 122050
(सीआईएन नंबर: यू74900एचआर1989जीओआई030516)

31 मार्च, 2025 तक की बैलेंस शीट

(हजार रुपये में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार	
			राशि (रुपये)		राशि (रुपये)
(I) इक्विटी और देयताएं					
शेयरधारकों के फंड	1	1,87,894		187,894	
शेयर पूंजी	2	(1,24,370)	63,524	(125,477)	62,416
आरक्षित & अधिशेष					
गैर-चालू देयताएं	3	3530	3,530	3530	3,530
दीर्घकालिक प्रावधान					
स्थगित कर देयता					
वर्तमान देनदारियां	4	112		138	
अल्पकालिक उधार	5	139	251	212	350
व्यापार देय					
अन्य वर्तमान देनदारियां					
कुल			67,305		66,296
(II) परिसंपत्तियां					
गैर-चालू परिसंपत्तियां	6	20,920		20,928	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	7	11,609	32,529	11,609	32,537
मूर्त संपत्ति					
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम					
वर्तमान संपत्ति	8	30,986		30,049	
सूची	9	3,790	33,776	3,710	32,759
व्यापार प्राप्तियां					
नकद और नकद समतुल्य					
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां					
कुल			67,305		66,296
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1 से 26				
वित्तीय विवरणों पर नोट्स					



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट.
एफ आर एन: 001604एन

(एम. एल. गर्ग)
साझेदार
एम. नं. 008850
यूडीआईएन: 25008850बीएमटीसीवाईवाई7352
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 07.08.2025

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

नितिन कुमार जैन
निदेशक
डीआईएन: 11182493

सुधीर कुमार जैन
निदेशक
डीआईएन: 05205213

अजय कुमार
कंपनी सचिव
एम. नं. ए68351



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : गांव नैनवाल, मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा- 122050
सीआईएन नंबर: यू74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(हजार रुपये में)

विवरण	नोट	2024-25	2023-24
आमदनी:			
संचालन से राजस्व			
अन्य आय	10	3,249	3649
कुल आय		3,249	3649
व्यय:			
कर्मचारी लाभ व्यय	11		
मूल्यहास और परिशोधन एक्सप्रेस।	12	536	448
अन्य खर्च	13	8	26
		1,483	1,490
कुल खर्च		2,027	1,964
असाधारण और असाधारण मदों और कर से पहले लाभ		1,223	1,685
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया			
असाधारण आइटम			
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ		1,223	1,685
असाधारण वस्तु (पूर्व अवधि व्यय)		-	-
कर पूर्व लाभ		1,223	1,685
कर व्यय			
वर्तमान कर		225	445
स्थगित कर		-	-
इनकम टैक्स पिछले साल		(109)	-
वर्ष के लिए लाभ		1,107	1,240
अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर की कमाई			
प्रत्येक का मूल्य 10 रुपये	14	0.06	0.07
मूल और पतला (रुपये में)			
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां			
वित्तीय विवरणों पर नोट्स	1 से 23		

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार।

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट.

एफ आर एन: 001604एन

(एम. एल. गर्ग)

साझेदार

एम. नं. 008850

यूडीआईएन: 25008850बीएमटीसीवाईवाई7352

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

नितिन कुमार जैन

निदेशक

डीआईएन:11182493

सुधीर कुमार जैन

निदेशक

डीआईएन: 05205213

अजय कुमार

कंपनी सचिव

एम. नं. : ए 68351

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक:07.08.2025



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड वैक्सीन्स

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	31.03.2025 राशि (रुपये)	31.03.2024 राशि (रुपये)
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/हानि	1,223	1,686
इसके लिए समायोजन:		
अवमूल्यन	8	26.04
ब्याज खर्च		
विविध व्यय को बट्टे खाते में डाला गया		-
कम:	1,231	1,712
अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ		
किराये की आय	1,191	3649
ब्याज आय	2,058	
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(2,019)	(1,937)
इसके लिए समायोजन:-		
गैर वर्तमान संपत्ति और देयता		
दीर्घकालिक प्रावधान	-	(378)
दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	-	-
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	-	-
स्थगित कर परिसंपत्तियां	-	-
वर्तमान संपत्ति और देनदारियां		
अन्य वर्तमान दायित्व	(26)	3
व्यापार देय	(73)	-
अल्पकालिक प्रावधान	-	-
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	(80)	2,778
संचालन से नकदी उत्पादन।	(2,198)	466
प्रत्यक्ष कर का भुगतान	115	
	-	-
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(2,313)	466
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
स्थायी संपत्ति / निर्माणाधीन संपत्ति की खरीद	-	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	-	-
प्राप्त ब्याज	2,058	3,649
प्राप्त किराया आय	1,191	-
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी	3,249	3,649
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
दीर्घकालिक ऋण से प्राप्त राशि	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वापसी	-	-



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

प्राप्त ब्याज

-

-

वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी

-

-

नकद एवं नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (ह्रास)

937

4,115

वर्ष की शुरुआत में नकद एवं नकद समतुल्य

30,049

25,934

वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य

30,986

30,049

हमारी उसी दिनांक की रिपोर्ट के अनुरूप संलग्न।

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट.

एफ आर एन: 001604एन

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

(एम. एल. गर्ग)

साझेदार

एम. न. 008850

यूडीआईएन: 25008850बीएमटीसीवाईवाई7352

नितिन कुमार जैन

निदेशक

डीआईएन:11182493

सुधीर कुमार जैन

निदेशक

डीआईएन: 05205213

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक:07.08.2025

अजय कुमार

कंपनी सचिव

एम. न. : ए68351



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स

नोट 1:

क. निगमित अवलोकन

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईएन नंबर यू74900एचआर1989जीओआई030516) को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 27.03.1989 को निगमित किया गया था और इसका पंजीकृत कार्यालय नैनवाल, दिल्ली-जयपुर राजमार्ग (एनएच 8), पीओ मानेसर और गुडगांव हरियाणा -122050 में है। कंपनी ने टीकों के निर्माण के उद्देश्य से शुरुआत की है लेकिन कंपनी उत्पादन चरण में नहीं है।

ख. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

I.) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित लेखांकन मानकों (भारतीय जीएएपी) के भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत उपार्जन आधार पर तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो हजार में निकटतम रुपये तक होते हैं।

II.) अनुमानों का उपयोग

भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और वित्तीय विवरणों की तारीख पर आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं और अवधि के दौरान आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / मूर्त रूप दिया जाता है।

III.) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे असाधारण वस्तुओं और करों से पहले लाभ / (हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और पिछले या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी स्थगन या उपार्जन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के परिचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

नकद और नकद समतुल्य

नकदी में हाथ में नकदी, बैंक बैलेंस और बैंकों में मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष राशि (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

लेखा मानक (ए एस)-3 में यथा निर्धारित नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने के लिए अप्रत्यक्ष पद्धति का प्रयोग किया जाता है।



IV.) अचल संपत्तियां

मूर्त परिसंपत्तियों

मूर्त परिसंपत्तियों को लागत कम संचित मूल्यहास पर बताया जाता है। मूर्त परिसंपत्तियों की लागत में इसकी खरीद मूल्य और किसी भी लागत को सीधे इसके इच्छित उपयोग के लिए परिसंपत्ति को उसकी कामकाजी स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार शामिल है।

V.) मूल्यहास, परिशोधन और कमी

मूर्त संपत्ति

अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास लिखित मूल्य (डब्ल्यूडीवी) विधि पर मूल्यहास राशि की सीमा तक प्रदान किया जाता है। मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

VI.) राजस्व मान्यता

पट्टे की आय को समझौते की अवधि के अनुसार उपार्जन आधार पर मान्यता दी जाती है। ब्याज आय को बकाया राशि और ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता दी जाती है।

VII.) कर्मचारी लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में भुगतान किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की छूट रहित राशि, यदि कोई हो, उस अवधि के दौरान व्यय के रूप में पहचानी जाती है जब कर्मचारी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

सेवा-उपरांत लाभ

परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना एक नौकरी के बाद की लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी एक अलग इकाई को निर्दिष्ट अंशदान देती है। कंपनी भविष्य निधि में निर्दिष्ट मासिक अंशदान करती है। कंपनी के अंशदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

परिभाषित लाभ योजनाओं और अन्य नौकरी के बाद के लाभों, जैसे अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी, के संबंध में देयता की गणना अर्जित अवकाश और पूरी की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर की जाती है।

वर्तमान में, कंपनी में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है और कंपनी का प्रबंधन एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव के साथ नामित निदेशक द्वारा किया जाता है। परिणामस्वरूप, कंपनी ने वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों के लाभों हेतु कोई नीति नहीं बनाई है। कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रावधान, जैसे कि भविष्य निधि, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी, बोनस आदि, कंपनी पर लागू होने पर लेखा पुस्तकों में प्रदान किए जाएंगे।



VIII.) चालू और आस्थगित कर के लिए प्रावधान

कर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। वर्तमान कर को लागू कर दरों का उपयोग करके कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है। आस्थगित आयकर वर्तमान अवधि के समय के अंतर को दर्शाता है जो कर योग्य आय और लेखा आय के बीच अंतर को दर्शाता है और पिछले वर्षों / अवधि के समय के अंतर को उलट देता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल इस हद तक मान्यता दी जाती है कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य की पर्याप्त आय उपलब्ध होगी, सिवाय इसके कि आस्थगित कर संपत्तियां, यदि अवशोषित मूल्यहास या नुकसान हैं, तो मान्यता प्राप्त है यदि आभासी निश्चितता है कि इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को कर दरों और कर कानून का उपयोग करके मापा जाता है जो बैलेंस शीट तिथि द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

IX.) प्रति शेयर आय

लाभ और हानि खाते में प्रति शेयर मूल आय का खुलासा किया जाता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके खुलासा किया जाता है। प्रति शेयर कम आय की गणना की जाती है और वर्ष के दौरान बकाया सामान्य और पतला सामान्य समकक्ष शेयरों की भारित औसत संख्या का उपयोग करके खुलासा किया जाता है, सिवाय इसके कि जब परिणाम एंटी-डाइल्यूटिव होंगे।

X.) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां

खातों में प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा तब तक किया जाता है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

XI.) परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है जब संपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। एक हानि हानि का शुल्क उस वर्ष में लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है जिसमें किसी संपत्ति को बिगड़ा हुआ माना जाता है। पूर्व लेखांकन अवधि में मान्यता प्राप्त हानि को उलट दिया जाता है यदि वसूली योग्य राशि के अनुमान में कोई बदलाव हुआ है।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(हजार रुपये में)

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
1. शेयर पूंजी		
अधिकृत शेयर पूंजी:		
5,00,00,000 रु. 10/- के इक्विटी शेयर	5,00,000	5,00,000
	500,000	500,000
जारी की गई सदस्यता और भुगतान किया गया:		
1,87,89,382, इक्विटी शेयर 10/- रु. के प्रत्येक पूर्ण रूप से नकद में भुगतान किए गए	187,894	187,894
	187,894	187,894

इक्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध:

कंपनी के पास शेयरों का केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयरों के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसका मूल्य 10 रुपये है। इक्विटी शेयरों के प्रत्येक धारक को प्रति शेयर एक वोट का अधिकार है। कंपनी भारतीय रुपये में लाभांश की घोषणा और भुगतान करती है। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश (यदि कोई हो) आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियों में से किसी को भी प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

1.1 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
	शेयरों की संख्या धरण (%)	शेयरों की संख्या धरण (%)
1 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	12,526,256 66.67	12,526,256 66.67
2 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	6,263,126 33.33	6,263,126 33.33

1.2 बकाया शेयरों की संख्या का मिलान निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
साल की शुरुआत में इक्विटी शेयर जोड़ें: वर्ष के दौरान शेयर मुद्दे	18,789,382 -	18,789,382 -
साल के अंत में इक्विटी शेयर	18,789,382	18,789,382



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

1.3 प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग		% परिवर्तन
		शेयरधारक का नाम	कुल शेयरों का %	शेयरधारक का नाम	कुल शेयरों का %	
1.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	12,526,256	6 6.67	12,526,256	6 6.67	शून्य
2.	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	6,263,126	3 3.33	6,263,126	3 3.33	शून्य
	कुल	18,789,382	100.00	18,789,382	100.00	शून्य

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
2 रिजर्व और अधिशेष		
प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व		
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार	19,070	19,070
जोड़ें: शेयरों के निर्गम पर	-	-
	19,070	19,070
लाभ-हानि लेखा	(1,44,547)	(1,45,787)
अंतिम बैलेंस शीट के अनुसार		
जोड़ें: : लाभ और हानि खाते से स्थानांतरित	1,107	1,240
	(1,43,440)	(1,45,787)
कुल	(124,370)	(125,477)

नोट 2.1

मैसर्स पेटेउर मेरिक्स सीरम एंड वैक्सीन्स, फ्रांस से 190.70 लाख रुपये का असुरक्षित ऋण प्राप्त हुआ था। इसके दावे को माफ करने के लिए दिनांक 04-12-1998 को एक पुष्टि प्राप्त हुई थी और इसे वर्ष 2006-07 में वापस लिखा गया था और कैपिटल रिजर्व खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
3. दीर्घकालिक प्रावधान		
आयकर का प्रावधान	3,530	3,530
कुल	3,530	3,530

क) पुराने आयकर रिफंड के लिए किए गए आयकर प्रावधानों को उन माँगों के विरुद्ध समायोजित किया गया है जिनका सुधार लंबित है।

(ख) आकलन वर्ष 1992-93 से अब तक के आयकर मामले आयकर विभाग के पास लंबित हैं। इस पूरी अवधि के दौरान, विभाग कंपनी के कर रिफंड को बकाया कर माँगों के विरुद्ध समायोजित करता रहा है। हालाँकि, समायोजित रिफंड की सही राशि का वर्तमान में पता नहीं चल पाया है। इन मुद्दों का समाधान आयकर विभाग के समन्वय से कंपनी के अभिलेखों के विस्तृत निरीक्षण के बाद ही किया जा सकता है।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

वित्तीय वर्ष 2024-25

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवाधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
4 व्यापार देय					
1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम					
2 अन्य	112				112
3 विवादित बकाया - एमएसएमई					
4 विवादित बकाया - अन्य					
कुल (वित्तीय वर्ष 2024-25)	112				112

4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली इस सूचना का निर्धारण कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर इस सीमा तक किया गया है कि ऐसे पक्षों की पहचान किस सीमा तक की गई है।

वित्तीय वर्ष 2023-24

विवरण	भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवाधियों के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 साल	2-3 साल	3 साल से अधिक	कुल
व्यापार देय					
1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम			-		
2 अन्य	138				138
3 विवादित बकाया - एमएसएमई					
4 विवादित बकाया - अन्य					
कुल (वित्तीय वर्ष 2023-24)	138				138

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
5. अन्य वर्तमान देनदारियां		
देय व्यय	72	66
टीडीएस देय	1	3
सुरक्षा जमा	65	65
आयकर	-	-
आयकर का प्रावधान	-	445
घटाएँ: टीडीएस		336
कुल	139	212



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार अचल संपत्ति

क्र. सं.	मूर्त संपत्ति का विवरण	सकल खंड				अवमूल्यन:					शुद्ध खंड	
		01/04/2024 को कुल लागत	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोपन	वर्ष के दौरान समायोजन (सेनवेट क्रेडिट)	कुल 31.03.2025 तक	31.03.2025 तक	वर्ष के दौरान	निगमन	31.03.2025 तक कुल	31.03.2025 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यू.डी.वी.	31.03.2024 तक की राशि
1	फ्रीहोल्ड लैंड	20,910				20,190	-	-		-	20,190	20,190
2	कार्यालय उपकरण	56				56	53	-		53	3	3
3	कंप्यूटर	135				135	120	8		128	7	15
कुल(ए)		21,101		-	-	21,101	173	8		181	20,920	20,928
पिछले वर्ष		21,101				21,101	147	26		173	20,928	20,954



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
7. लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है)		
सुरक्षा जमाकर्ता	3	3
टैक्स जमा किया (विरोध के तहत)	6,982	6,982
पिछले वर्षों के लिए देय आयकर रिफंड	4,624	4,624
कुल	11,609	11,609

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
8. नकद और नकद समतुल्य		
बैंकों के चालू खाते में शेष राशि		
भारतीय स्टेट बैंक	166	72
बैंक में जमा	30,200	29,450
हाथ में नकदी	2	3
अर्जित अन्य ब्याज	617	524
कुल	30,986	30,049

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
9. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां (असुरक्षित और अच्छा माना जाता है)		
1 स्रोत पर कर कटौती -		
i) आयकर वापसी (पिछले वर्षों के लिए जिसके लिए आयकर विभाग से रिफंड का इंतजार)	1,253	1,223
ii) आयकर रिफंड (चालू वर्ष, अर्थात्, निर्धारण वर्ष 2025-26)	100	
iii) लीज रेंट से	1,159	1,159
iiiv) बैंक जमा पर ब्याज से	934	934
2 जीएसटी इनपुट	343	281
3 एसटीडी प्राप्य पर ब्याज	-	113
4 आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	-	
6 आरएलएसपीएल से प्राप्य	-	
कुल	3,790	3,710

नोट: 3,43,113.68/- रुपये का जीएसटी इनपुट क्रेडिट जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/कैश लेजर के साथ समाधान के अधीन है।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
10. अन्य आय		
ब्याज		
बैंक जमा से प्राप्त ब्याज	2,058	1,965
अन्य से प्राप्त ब्याज	-	493
	2,058	2,458
अन्य गैर-परिचालन आय		
एनबीआरसी से कारखाने की जमीन से पट्टे की आय	1,191	1,191
	1,191	1,191
कुल	3,249	3,649

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
11. कर्मचारी लाभ व्यय		
वेतन	536	448
कर्मचारी कल्याण	-	-
कुल	536	448

विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
12. मूल्यहास और परिशोधन व्यय		
मूर्त संपत्तियों पर मूल्यहास	8	26
कुल	8	26



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
13.	अन्य खर्च		
	मरम्मत और रखरखाव (कार्यालय)	4	-
	हाउसकीपिंग खर्च	-	110
	शुल्क और सदस्यता	59	54
	व्यय बढ़े खाते में डाला गया	-	37
	जीएसटी बंद	-	-
	कानूनी और व्यावसायिक व्यय	85	157
	वाहन शुल्क	16	26
	डाक और टेलीग्राम शुल्क	0	.1
	लेखा परीक्षक को भुगतान	25	25
	टेलीफोन खर्च	4	4
	मुद्रण और लेखन सामग्री	15	14
	बिजली का खर्च	6	5
	सुरक्षा सेवा (साइट)	1,259	1,050
	बैंक शुल्क	1	1
	खाद्य और पेय पदार्थ	8	7
		1,483	1,490

	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
13.1	लेखा परीक्षकों को भुगतान		
	लेखा परीक्षा शुल्क	25	25
	कराधान और अन्य	-	-
		25	25

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

(हजारों में)

	विवरण	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
14.	प्रति शेयर आय (ई पी एस)		
	i) लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर के बाद निवल लाभ	1,107	1,240
	ii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	18,789	18,789
	iii) बुनियादी और पतला ईपीएस	0.06	0.7
	V) अंकित मूल्य प्रति इक्विटी शेयर	10	10



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित अनुपात:

	अनुपात	प्रमाणक	हर	2024-25	2023-24	% परिवर्तन	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात	कुल वर्तमान संपत्ति	कुल वर्तमान देनदारियां	138.5	96.4	-42.12%	वर्तमान देनदारियों में कमी और वर्तमान परिसंपत्तियों में वृद्धि
2	ऋण - इक्विटी अनुपात	कुल उधार	कुल इक्विटी	0.00	0.00	0.00%	
3	ऋण सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों से पहले शुद्ध लाभ + मूल्यहास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि आदि.	ऋण सेवा = डिबेंचर पर ब्याज, सावधि ऋण और बैंक और अन्य पर ब्याज + लंबे समय तक मूल भुगतान - पूर्व भुगतान को छोड़कर सावधि उधार	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
4	इक्विटी पर रिटर्न (आर ओ ई)	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	0.02	0.04	0.02%	
5	सामग्री कारोबार अनुपात	अच्छी बिक्री की लागत	औसत सामग्री	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	
6	व्यापार प्राप्तियों का कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री	औसत व्यापार प्राप्तियां	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	
7	व्यापार देय कारोबार अनुपात	शुद्ध खरीद	औसत व्यापार देय	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	
8	शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री	कुल वर्तमान संपत्ति - कुल वर्तमान देनदारियां	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	
9	शुद्ध लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	0	0	0.00%	
10	नियोजित पूंजी पर आय (आरओसीई)	ब्याज और करों से पहले कमाई	पूंजी नियोजित = कुल इक्विटी + कुल उधार - अन्य अमूर्त संपत्ति - ख्याति	0.02	0.03	0.01%	
11	निवेश पर आय	निवेश से होने वाली आय		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	

16 अन्य वैधानिक जानकारी

- 1 कंपनी का बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं है।
- 2 कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में कारोबार या निवेश नहीं किया है
- 3 कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो बही-खातों में दर्ज न हो, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण (जैसे तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।
- 4 कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।
- 5 कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।



इंडियन वैक्सीन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

6. कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था (ओं) को इस समझ के साथ धन अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ:

(क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देना या निवेश करना (अंतिम लाभार्थी) या

(ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या समान प्रदान करें।

7. कंपनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था (ओं) से इस समझ के साथ कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि कंपनी करेगी:

(क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना; या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

8. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बताए गए पट्टे की संपत्तियों सहित अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख/ कानूनी स्वामित्व कंपनी के नाम पर रखे गए हैं।

17. उत्पाद शुल्क और सेवा कर और जीएसटी के लिए बिक्री कर देनदारियों और देनदारियों को क्रमशः बिक्री कर विभाग, उत्पाद शुल्क विभाग और जीएसटी विभाग के साथ दायर रिटर्न के अनुसार प्रदान किया गया है। मूल्यांकन के आधार पर यदि कोई अतिरिक्त दायित्व बनता है तो उसे उस समय प्रदान किया जाएगा।

18. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्ष प्रकटीकरण।

A सहयोगी

1 मैसर्स नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर

संबंध

जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोगी

संबंधित पक्ष के साथ वर्ष के दौरान लेनदेन लेन-देन की प्रकृति (के बिना क्षतिपूर्ति)

	एसोसिएट्स	(रुपये हजारों में) प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति	कुल
1 पट्टा किराया (सकल)	1,191	-	1,191

B. कार्मिक विभाग

1 संजय कुमार मिश्रा	निदेशक
2 सुधीर कुमार जैन	निदेशक
3 श्रीवल्लभ गोयल	निदेशक
4 पंकज कुमार	निदेशक
5 अलका शर्मा	निदेशक

31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

19. कंपनी ने प्रमुख प्रबंधन कर्मियों, स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति और ऑडिट समिति के गठन के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 (1) और 149 के साथ-साथ कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 8 और 8 ए के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। कंपनी ने दो स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए भारत सरकार (डीबीटी) के साथ भी मामला उठाया है।

20. कंपनी ने घाटा संचित किया है और इसका निवल मूल्य आंशिक रूप से समाप्त हो गया है, कंपनी को पिछले वर्ष के दौरान शुद्ध हानि/निवल नकदी हानि हुई है। वर्ष 2008-09 में कंपनी ने वैक्सीन्सपरियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया है। साइट का कुछ हिस्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय नेशनल ब्रेन रीसर्च सेंटर (एनबीआरसी) को 11.91 लाख रुपये प्रति वार्षिक की राशि पर पट्टे पर दिया गया था।

चूंकि परियोजना कभी शुरू नहीं की गई थी, इसलिए संयंत्र और मशीनरी और अन्य मदों के केवल निपटान से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी खातों की बही-खातों को चालू चिंता के रूप में रख रही है। कंपनी ने लंबे समय से अचल संपत्तियों के पट्टे के आय फॉर्म पट्टे से प्राप्त किया।

वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान, कंपनी ने विनिवेश के लिए नीति आयोग के पास भेजा है। नीति आयोग ने दिनांक 29.01.2018 के अपने ओ.एम.नंबर 13(10)/2018-आई एंड बी (आई) के तहत डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के विनिवेश की सिफारिश की है।

नीति आयोग की सिफारिशों के अनुसार, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) के लिए एक मसौदा नोट 04.07.2019 को सभी मंत्रालयों/विभागों और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को उनके सहयोग/विचारों के लिए परिचालित किया गया था।



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीआईएन- यू74900एचआर1989जीओआई030516

हालांकि, अब कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बायो-फार्मा उत्पाद को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता पर विचार करते हुए, विभाग में इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है और यह प्रस्तावित किया गया है कि कंपनी के उद्देश्यों और जनादेश को अन्य टीकों के उत्पादन को शामिल करने के लिए उपयुक्त संशोधन के लिए तैयार किया जा सकता है क्योंकि यह प्राथमिक पुनरावृत्ति है। कोविड टीकों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता और अन्य बीमारियों के लिए वैक्सीन्स के आगे के उत्पादन को देखते हुए, विभाग अब कंपनी के पुनरुद्धार और एक जैव-विनिर्माण केंद्र की स्थापना कर रहा है जो टीकों और जैविक जैसे प्रमुख जैव-फार्मा उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करेगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को बंद करने के लिए सीसीईए नोट को वापस लेने के लिए माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

21. प्रबंधन की राय में वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में प्राप्त होने पर बताए गए मूल्य के लगभग हैं। सभी ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान पर्याप्त हैं और यथोचित रूप से आवश्यक मानी जाने वाली राशि से अधिक नहीं हैं।
22. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, फिर से समूहीकृत या पुनः व्यवस्थित किया गया है।
23. नोट 1 से 23 को 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट का एक अभिन्न अंग बनाया गया है और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण दिया गया है।

एम. एल. गर्ग एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट.
एफ आर एन: 001604एन

(एम. एल. गर्ग)
साझेदार
एम. न. 008850
यूडीआईएन: 25008850बीएमटीसीवाईवाई7352

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 07.08.2025

इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए

नितिन कुमार जैन
निदेशक
डीआईएन: 11182493

सुधीर कुमार जैन
निदेशक
डीआईएन: 05205213

अजय कुमार
कंपनी सचिव
एम. न. : ए68351



इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: गाँव नैनवाल, दिल्ली जयपुर राजमार्ग (एन एच - 8), डाकघर मानेसर, जिला गुरुग्राम,
हरियाणा - 122050

मुख्य कार्यालय: ब्लॉक नंबर-3, कमरा नंबर 526, 5 वीं मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली- 110003